संख्या-116/2026/1926/नौ-5-2026/001-Com.No-1802199

प्रेषक,

देवेश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

(1) राज्य मिशन निदेशक (अमृत-2.0), निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(2) निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 13 मई, 2026

विषय:- अमृत-2.0 योजनान्तर्गत ए०एण्ड ओ०ई० मद में प्राप्त केन्द्रांश की धनराशि को एस०एन०ए० स्पर्श के माध्यम से व्यय किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य मिशन निदेशक अमृत-2.0, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या-एसएमएमयू/18/1346/2026,दिनांक 17-04-2026 द्वारा अमृत-2.0 योजनान्तर्गत ए०एण्ड ओ०ई० मद में भारत सरकार द्वारा एस०एन०ए० स्पर्श के माध्यम से प्राप्त कुल धनराशि **रू० 1589.90 लाख (रूपये पन्द्रह करोड़ नवासी लाख नब्बे हजार मात्र)** को निम्नांकित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त करते हुए एस.एन.ए स्पर्श प्रणाली के अंतर्गत नियमानुसार साइबर ट्रेजरी के माध्यम से व्यय किये जाने पर राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

<u>नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों</u>

(1) स्वीकृत धनराशि निदेशक, नगरीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ के निवर्तन पर रखी जायेगी, जिसका भुगतान एस.एन.ए स्पर्श प्रणाली के अंतर्गत नियमानुसार साइबर ट्रेजरी के माध्यम से की जायेगी।

(2) उक्त धनराशि का व्यय अमृत-2.0 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों प्रतिबन्ध, दिशा-निर्देशों एवं गाइड लाइन के अनुसार किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(4) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जाएगा।

(5) इस संबंध में 'सेंटेज चार्जेज, निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बंधित वित्तीय प्रबंधन' सम्बंधी वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 17 मई, 2023 तथा शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 19 मई, 2023 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28 मार्च, 2026 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **रुपये 15,89,90,000 (रुपये पन्द्रह करोड़ नवासी लाख नब्बे हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2217051910107 अटल मिशन फार रिजूवनेशन एण्ड अरबन ट्रासफारमेशन के अन्तर्गत सहायता (अमृत-2.0) (के.100/रा.00-के.) मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न यू०ओ० संख्या–E-9-23-X-2026-27-दिनांक: 13-05-2026 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(देवेश मिश्र),
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या-116/2026/1926(1)/नौ-5-2026/001-Com.No-1802199, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

2- महालेखाकार(वर्क्स लेखा अनुभाग) उत्तर प्रदेश प्रयागराज ।

3- सचिव, भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली ।

4- निदेशक (अमृत-2.0), शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।

5- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ।

6- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ।

7- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, साइबर ट्रेजरी, इन्दिरा भवन,लखनऊ

7- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश प्रयागराज ।

8- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

09- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

10- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(देवेश मिश्र),
संयुक्त सचिव।

बी एम-9 (भाग - 1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति
(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)
A009-20262027-Reapp-1802199-AMRUT-17

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में 'अटल मिशन फार रिजुवनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफार्मेशन के अंतर्गत सहायता' में पुनर्विनियोग का प्रस्ताव।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
037	2217051910105 (अटल मिशन फार रिजूवनेशन एण्ड अरबन ट्रान्शफारमेशन के अन्तर्गत सहायता (अमृत- 2.0) (के.25/रा.33.33-के.+रा.) (10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर))	35 (पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान)	8,57,00,00,000 रुपये आठ अरब सतावन करोड़ मात्र	5,77,00,00,000 रुपये पाँच अरब सतहत्तर करोड़ मात्र	- 15,89,90,000 रुपये पन्द्रह करोड़ नवासी लाख नब्बे हजार मात्र	15,89,90,000	8411010000	2026-2027

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
037	2217051910107 (अटल मिशन फार रिजूवनेशन एण्ड अरबन ट्रासफारमेशन के अन्तर्गत सहायता (अमृत-2.0) (के.100/रा.00-के.))	42 (अन्य व्यय)	1,00,000 रुपये एक लाख मात्र	15,89,90,000 रुपये पन्द्रह करोड़ नवासी लाख नब्बे हजार मात्र	15,89,90,000	159090000	2026-2027

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

(1) स्तम्भ-1 में अंकित लेखाशीर्षक- 2217051910105 के अन्तर्गत पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है।

(2) स्तम्भ-8 में अंकित लेखाशीर्षक- 2217051910107 (अटल मिशन फार रिजुवनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफार्मेशन के अंतर्गत सहायता) में में केन्द्रांश प्राप्त होने के कारण धनराशि की आवश्यकता है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ.प्र. बजट मैनुअल के प्रस्तधर- 150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/ परिसीमाओं का उल्लघन नहीं होता है।

संख्या: आर ई-संख्या-बजट-1-7-2026-27, दिनांक- 04 मई, 2026

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।

(देवेश मिश्र)
संयुक्त सचिव।

(सिद्धार्थ श्रीवास्तव)
अपर निदेशक।

संख्या :1743/नौ-5-2026-1802199, दिनांक- 06 मई, 2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय,उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- राज्य मिशन निदेशक, अमृत, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

5- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ।

6- निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

7- सहायक निदेशक (लेखा) नगरीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

8- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।

9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

10- कम्प्यूटर सेल/गार्ड बुक।

आज्ञा से

(देवेश मिश्र)
संयुक्त सचिव।